

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संख्या- 1/एम-1-138/05

14

दिनांक- 30-10-09

कार्यालय-आदेश

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक- ए0टी0आई0 प्रोजेक्ट 31/05/1061 दिनांक 05.12.05 के अलोक में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 [Right to information Act- 2005] के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए श्री सुरेश चौधरी, अवर सचिव को विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 17 दिनांक 09.10.09 एवं संख्या 574 दिनांक 08.10.09 स्वतः विलोपित माना जायेगा।

(विजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 1/एम-1-138/05

613

दिनांक- 30-10-09

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 1/एम-1-138/05

613

दिनांक- 30-10-09

प्रतिलिपि- सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ महानिदेशक, प्रशासनिक संस्थान बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 1/एम-1-138/05

613

दिनांक- 30-10-09

प्रतिलिपि- श्री सुरेश चौधरी, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव